

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
समाचार भाग - 2

॥ विधायी तथा अन्य कार्यों से सम्बन्धित सामान्य जानकारी ॥
बुधवार, 28 मई, 1997/ज्येष्ठ 7, 1919 शक ॥

संख्या : 331

सदस्य की नजरबन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली का दिनांक 26.5.97 का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री राम भज को उनके समर्थकों सहित संसद मार्ग पर दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा-65 के अंतर्गत पुलिस के विधिसम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिनांक 26.5.1997 को अपराहन 12.20 बजे संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के सामने से नजरबन्द किया गया।

उन्हें उसी दिन अर्थात् दिनांक 26.5.97 को अपराहन 12.35 बजे वहीं से रिहा कर दिया गया।

पी. एन. गुप्ता
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART - II

(General information relating to Legislative & other matters)

Wednesday, May 28, 1997 / Jyaistha 7, 1919 (Saka)

No. 331

DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message dated 26.5.1997 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from the Addl. Dy. Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi :-

" I have the honour to inform you that Shri Ram Bhaj, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi alongwith their supporters w²4 - detained under section 65 of Delhi Police Act 1978 for disobeying the lawful directions of Police from Parliament Street in front of Police Station Parliament Street, New Delhi on 26.5.97 at 12.20 P.M.

They were released at 12.35 P.M. from the same Place, the same day on 26.5.97".

P.N. GUPTA
SECRETARY